संख्या- 457 /2025/ 985 /26-3-2026-2028196

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च 2026

विषय - **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2340/स0क0/एन0एस0ए0पी0/रा0पा0ला0यो0/2025-26 दिनांक 17-03-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-J-12036/1/2014-NSAP दिनांक 12-03-2026 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी केन्द्रांश की तृतीय किश्त की धनराशि रू0 3763.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिससे जनपदों द्वारा की गयी मांग के अनुसार धनराशि जनपदों के एस0एन0ए0 खातों में अंतरित की जा सके।

2- अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वर्तमान तक रू0 37500.00 लाख (रू0 तीन सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अत: उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-80 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत केन्द्रांश की प्राविधानित धनराशि रू0 30000.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त **केन्द्रांश** की धनराशि **रू0 3763.36 लाख (रूपये सैंतीस करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नवत एवं शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(9) विभाग द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **रू0 3763.36 लाख** (रूपये सैंतीस करोड़ तिरसठ लाख छततीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2235021040502 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-**299**-X-2025-26-दिनांक:25-03-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 25-03-2026
20:27:16

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।